

24.10.2024 वकील प्रदीप शर्मा द्वारा विधायी
की लोफरल तारीखी हुकम अगस्त 03 11E
के अन्तर्गत रूपान्तरित हो चुकी है।
विधायी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर
देकर मामले के उपरोक्त मांडीगण उपस्थित
नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही
की जाती है। वकील प्रदीप शर्मा की वरत
सुनी गई है। बोलने केवल निवेदन किया
तो विवादित आराधी के आधीगण स्वतंत्र
है, आधीगण को स्वतंत्रता श्री 42 वा.
उप में वांछित अनुसंधान अनुसार विधायी द्वारा
अवेध शक्तिप्रमाण कर रखा है। इस कारण
मा. न्यायमण द्वारा जारी स्वगत आदेश
को भूलवाई के निमित्त तक कन्फर्म किया जाये
इसने वकील प्रदीप शर्मा की पहल सुनी और
बहरन पर प्रत्यक्ष किता तन्मा पत्रावली पर
उपस्थित राज्य-व रिपोर्ट एवं दस्तावेज्यात का
गम्भीरता-पूर्वक अन्वेषण किया। तभीरुने पाया
कि विवादित आराधी आधीगण की स्वतंत्रता में
अन्वेषण है। भूलवाई में आधीगण की और
ले अवेध शक्तिप्रमाण हलवाने का वांछित अनुसंधान
आव गया है, जो कि भूलवाई में (11/11/24 एवं
पत्रावली ले नाकी, डोगी पि आधीगण रहन
मुक्त करने के हकदार है अथवा नहीं। आधी-
प्रकारण की गम्भीरता को देखते हुए न्यायालय
द्वारा द्वारा जारी स्वगत आदेश को प्रभाव
रवाना अन्तर्गत लीन होता है, तारी पदाधी के
भूलवाई आगे नहीं जाये। ऐसी हक-ने
आधीगण का आवेदन-पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायमण
द्वारा द्वारा जारी स्वगत आदेश दिनांक 03-7-2024 को
भूलवाई के निमित्त तक कन्फर्म किया जाता है।
पत्रावली के मात सुधार धर्म दाखिल रूपान्तर हो

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा 24/10/24